प्रस्तावना

20-22 जून 2012 को यूनेस्को, पेरिस में आयोजित विश्व ओईआर कांग्रेस,

निम्नलिखित में जागरूक करने वाले प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कथन शामिल हैं:

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (अनुच्छेद 26.1), जो कहता है कि: "प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है";

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (अनुच्छेद 13.1), जो की "शिक्षा के लिए हर किसी के अधिकार" को मान्यता देता है;

साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए 1971 बर्न सम्मेलन एवं 1996 डब्ल्यूआईपीओ सर्वाधिकार संधि;

सहस्त्राब्दि घोषणा एवं 2000 डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जिसनें समस्त बच्चों, युवाओं और वयस्कों के लिए गुणवत्ता मूल शिक्षा प्रदान करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताएं बनाई;

सूचना समाज पर 2003 विश्व शिखर सम्मेलन, सिद्धांतों की घोषणा, "एक जनकेंद्रित, समावेशी और विकासोन्मुखी सूचना समाज बनाने" के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध करना "जहां हर कोई सूचना और ज्ञान की रचना कर सकता है, उस तक पहुंच सकता है, उपयोग और साझा कर सकता है";

साइबरस्पेस के लिए सार्वभौमिक पहुंच और बहुभाषावाद के संवर्धन और उपयोग के विषय में 2003 यूनेस्को संस्तुति;

सांस्कृतिक की अभिव्यक्ति की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर 2005 यूनेस्को सम्मेलन, जो कहता है कि: "दुनिया भर की सांस्कृतिक की अभिव्यक्ति की समृद्ध और विविध शृंखला के लिए समान पहुँच और अभिव्यक्ति और प्रसार के साधनों के लिए संस्कृतियों की पहुँच सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने और आपसी समझ को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण तत्वों में से है";

विकलांग लोगों के अधिकारों पर 2006 सम्मेलन (अनुच्छेद 24), जो विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अधिकारों को मान्यता देता हैं;

प्रौढ़ शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (सीओएनएफ़आईएनटीईए) के छह सम्मेलनों की घोषणाएँ जो प्रौढ़ विद्या और शिक्षा की मौलिक भूमिका पर बल देते हैं।

इस बात पर बल देते हुए की शब्द अनावृत शैक्षिक संसाधन (ओईआर) सार्वजनिक पाठ्यक्रम पर यूनेस्को के 2002 मंच पर गढ़ा गया था और वह उन "शिक्षण, शिक्षा और शोध सामग्रियों" को लक्षित करता है जो "किसी भी माध्यम में, डिजिटल या दूसरे प्रकार से, सार्वजनिक ज्ञानक्षेत्र में हैं या एक ऐसे सार्वजनिक अनुज्ञप्ति के तहत जारी किये गए हैं, जिसके तहत लागतहीन पहुँच, उपयोग, रूपांतर और दूसरों के द्वारा पुनर्वितरण को निर्बाध या सीमित प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जाती है। सार्वजनिक अनुज्ञप्ति को बौद्धिक संपदा अधिकारों की मौजूदा रूपरेखा के अंतर्गत बनाया गया है, जैसा की प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा परिभाषित है, और कार्य की कर्तृत्व का सम्मान करता है";

सार्वजनिक शैक्षिक संसाधन पर मौजूदा घोषणाओं और दिशानिर्देशों को याद करते हुए, जैसे की 2007 केपटाउन सार्वजनिक शिक्षा घोषणा, सार्वजनिक शैक्षिक संसाधन पर 2009 डकार की घोषणा और उच्च शिक्षा में सार्वजनिक शैक्षिक संसाधन पर राष्ट्रमंडल शिक्षा और यूनेस्को के 2011 के दिशानिर्देश;

ध्यान देते हुए की सार्वजनिक शैक्षिक संसाधन (ओईआर) ऊपर लिखे अंतरराष्ट्रीय बयानों के उद्देश्य को बढ़ावा देता है।

यह सिफारिश करता है की देश, अपनी क्षमता और अधिकार के अंतर्गत:

a. ओईआर के उपयोग और जागरूकता को बढ़ावा दें।

ओईआर को बढ़ावा दे और आजीवन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सभी स्तरों, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, पर शिक्षा को पहुँचने के लिए प्रयोग करे, और इस प्रकार सामाजिक समावेश, लिंग समानता और विशेष जरूरतों की शिक्षा के लिए योगदान करे। ओईआर के अधिक से अधिक उपयोग के माध्यम से शिक्षण परिणामों और सीखने की लागत कुशलता और गुणवत्ता, दोनों में सुधार करे।

b. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग के लिए सक्षम वातावरण की सुविधा प्रदान करें।

पर्याप्त बुनियादी ढांचे, विशेषत: सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्शन, बड़े पैमाने पर मोबाइल प्रौद्योगिकी और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, के विकास के द्वारा डिजिटल विभाजन को पाटें। मीडिया और सूचना

साक्षरता में सुधार करें और सार्वजनिक मानक डिजिटल स्वरूप में ओईआर के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करें।

c. ओईआर पर रणनीति और नीतियों के विकास को सुदृढ़ करें।

शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक रणनीतियों के अंतर्गत ओईआर के उत्पादन और उपयोग के लिए विशिष्ट नीतियों के विकास को बढ़ावा देना।

d. अनावृत अनुज्ञप्ति व्यवस्थाओं के उपयोग और समझ को बढ़ावा दें।

सार्वजनिक अनुज्ञप्ति के माध्यम से पुनः उपयोग, संशोधन, पुनः मिश्रण और दुनिया भर में शैक्षिक सामग्री के पुनर्वितरण की सुविधा प्रदान करना, जो की व्यवस्थाओं की एक श्रेणी को संदर्भित करता है, जो किसी भी सर्वाधिकार धारक के अधिकारों का सम्मान करते हुए विभिन्न प्रकार के उपयोगों की अनुमति देता है।

e. गुणवत्ता अधिगम सामग्री के सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण का समर्थन करें।

स्थानीय जरूरतों और शिक्षार्थियों की पूरी विविधता को ध्यान में रखते हुए संस्थाओं की सहायता करे, शिक्षकों और अन्य कर्मियों को उच्च गुणवत्ता युक्त, सुलभ शैक्षिक संसाधनों को उत्पादित और साझा करने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित करें। ओईआर की गुणवत्ता-आश्वासन और सहकर्मी समीक्षा को बढ़ावा दें। ओईआर के माध्यम से प्राप्त शिक्षा परिणामों के आकलन और प्रमाणीकरण के लिए तंत्रों के विकास को प्रोत्साहित करें।

f. ओईआर के लिए रणनीतिक गठजोड़ को बढ़ावा दें।

विविध मीडिया में सार्वजनिक अनुज्ञप्ति के अंतर्गत जारी की गई सामग्रियों को साझा करने हेतु अवसर पैदा करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का लाभ लें और शिक्षा, उद्योग, पुस्तकालय, मीडिया और दूरसंचार क्षेत्रों के अंतर्गत एवं बीच नई सामरिक भागीदारी के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करें।

g. विभिन्न भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों में ओईआर के विकास और रूपांतर को प्रोत्साहित करें।

ओईआर का स्थानीय भाषाओं और विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना, जिससे प्रासंगिकता और पहुंच सुनिश्चित हो। अंतर सरकारी संगठनों को स्वदेशी ज्ञान और अधिकारों का सम्मान करते हुए भाषाओं और संस्कृतियों में ओईआर के सहभाजन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

h. ओईआर पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करें।
ओएर के विकास, उपयोग, मूल्यांकन और पुनःप्रसंगिकता, साथ ही उसके द्वारा प्रदान अवसरों और चुनौतियों, शिक्षण के गुणवत्ता और लागत कुशलता पर उसके प्रभाव और ओईआर में सार्वजनिक निवेश के लिए साक्ष्य आधार को मजबूत बनाने के क्रम में सीखने पर शोध को बढ़ावा दें।

i. ओईआर की खोज, पुन:प्राप्ति और साझेदारी को सुविधा दें।
विशेष आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट एवं प्रासंगिक ओईआर को खोजने और पुनःप्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल उपकरणों के विकास को प्रोत्साहित करें। अंतर्संचालनीयता को सुनिश्चित करने के लिए और विभिन्न मीडिया में ओईआर के उपयोग की सुविधा के लिए उचित सार्वजनिक मानकों को अपनाएं।

j. सार्वजनिक धन के साथ उत्पादित शैक्षिक सामग्री के सार्वजनिक अनुज्ञप्ति को प्रोत्साहित करें।
सरकारें/सक्षम प्राधिकारी सार्वजनिक धन के साथ विकसित शैक्षिक सामग्री के निवेश के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए उन्हें सार्वजनिक अनुज्ञप्ति के तहत (उनके द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी प्रतिबंध के साथ) उपलब्ध कराए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं और इसके द्वारा वे अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त लाभ बना सकते हैं।

....
....

TRANSLATED BY:

VAIBHAV JAIN

WIKIMEDIA INDIA

vaibhav29498@gmail.com

CONFIRMED BY

AJAY MOHAN
Oneindia.in
ajay.mv@oneindia.co.in

ABHIJEET SAFAI

WIKIMEDIA INDIA

abhijeet.safai@gmail.com